राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, चित्तौड़गढ़ (राज.)
खनिज भवन, गांधीनगर चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/खअ/चित्तौड़/बजरी–निलामी/2025–26/177 दिनांक 30.04.2025

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण (02/2025)

चित्तौड़गढ़ जिले में इस कार्यालय के क्षैत्राधीन विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी (जैसी है उसी स्थिति में) पड़ी हुई हैं, जिसकी निलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदा (दरें) दिनांक 22.05.2025 (सांयकाल 6 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ के कमरा. संख्या 1 में आमंत्रित की जानी है। प्राप्त सीलबन्द लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 23.05.2025 को प्रातः 11 उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा संख्या 1 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

(न्यूनतम आरक्षित दर 500/- प्रति टन)

क्र. सं.	स्थान का विवरण जंहा जब्त की हुई बजरी पड़ी हुई है।	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि रू.	न्यूनतम निविदा राशि रू.
01.	लिरड़ी–चौमूं मार्ग, तह. बैगुं	300	15,000	1,50,000
02.	लिरड़ी–चौमूं मार्ग, तह. बैगुं	270	13,500	1,35,000
03.	निकट ग्राम दादिया, खसरा नम्बर 482, तह. गंगरार	200	10,000	1,00,000
04.	निकट ग्राम सदापुरा, खसरा नम्बर 48, तह. गंगरार	300	15,000	1,50,000

निलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी:–

01. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिये। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ के कमरा नम्बर 01 पर रखें टेण्डर बार्क्स में दिनांक 22.05.2025 (सांयकाल 6 बजे) तक डाली जा सकेगी।
02. प्रत्येक निविदा के साथ ऊपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिए निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अलग–अलग के संलग्न करने होंगे। निविदा राशि 10 रू. प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
03. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्व विभाग की कोई भी राशि बकाया नहीं है।
04. निलामी स्टॉकों के संबंध में कोई उज्र प्राप्त होने पर उक्त स्टॉक को निलामी से रोकने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता समक्ष होगा।
05. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी क्षेत्र/स्थल पर किया जा सकता है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ के तकनीकि स्टाफ से भी ली जा सकती है।
06. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जैसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चित्तौड़गढ़ (राज.)

07. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 23.05.2025 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ के कमरा संख्या 01 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ–साथ संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगी। अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।

08. सफल निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) स्वंय के स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।

09. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन पंमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की स्वंय प्रमाणित प्रति निविदा प्रपपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

10. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।

11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ होगा।

12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

13. सफलतम निविदादाता को बजरी परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा।

14. 500 टन से अधिक बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के बजरी स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया गया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबधिंत खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमती होगी।

16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षैत्र के संबधिंत नम्बर अंकित अधिकारियों को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवना किया जा सकेगा।

17. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।

18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

19. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

20. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।

21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।

22. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

23. शेष सभी शर्ते सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

खनि अभियन्ता
खान ... विभाग
चित्तौड़गढ़ (राज.)

24. उक्त नीलामी को स्थगित करने, नीलामी को फाईनल करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

(एहतेशाम सिद्दीकी)
खनिअभियन्ता,
चितौड़गढ़

क्रमांक / खअ / चित्तौड़ / बजरी–निलामी / 2025–26 / 178-187 दिनांक 30.04.2025

क्रमाक :–प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

01. श्रीमान् जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़।
02. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़।
03. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
04. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक, (खान) उदयपुर जोन, उदयपुर।
05. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियंता, भीलवाड़ा वृत्त भीलवाड़ा।
06. श्रीमान् समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला चित्तौड़गढ़।
07. श्रीमान् समस्त तहसीलदार, जिला चित्तौड़गढ़।
08. श्रीमान् थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार / बैगुं।
09. श्रीमान् सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
10. श्रीमान् संबंधित खनि कार्यदेशक द्वितीय / सर्वेयर कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

खनिअभियन्ता,
चितौड़गढ़

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चित्तौड़गढ़ (राज.)